O.T. प्रतिवादी संख्या 3
13/5/24

13/5/24 पत्रावली पेश हुई। वगीत प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तामील हमीदे पेश। अप्रार्थी सं० (3) की ओर से अण्डरटेकिंग। वाद्दे इन्तजार जवाब प्रा०-पत्र पत्रावली दिनांक 5/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड, चाकसू

5/6/24 पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहब/ अन्य आर्य अवकाश ... दिनांक 4/7/24 को पेश हो।

4/7/24 पत्रावली पेश हुई। वगीत प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 3 व 4 की हाजीर। अप्रार्थी सं० 1, 2, 5, 6 को सम्मन जरिए डाक से जारी एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं। अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थी सं० 1, 2, 5 व 6 हाजीर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस उभयपक्षों की सुनने व प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने से हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के प्रा०-पत्र के चरण सं०-(7) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दा०।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)